न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— श्योराम वर्मा (आरएएस)

प्रकरण संख्या :— 125/2016

. गिरदावरी पत्नि शंकरलाल जाति बिश्नोई साकिन 10 केडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—वादीगण—

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र पतराम जाति बिश्नोई साकिन 2 केएनडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
2. कलावती पत्नि देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन 10 केडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. बलवन्त पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन 10 केडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. कमला पुत्री देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन 10 केडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर ।
5. मुकेश पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन 10 केडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. सोना पुत्री देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन 10 केडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना

—प्रतिवादीगण—

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्री श्रवण बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) घड़साना प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वयं उपस्थित।

—: निर्णयः— दिनांकः— 21.07.2016

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र पेशकर निवेदन किया है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के सयुंक्त खाता में चक 2 केएनडी का प.न. 93/62 मु.न. 78 किला न. 1 ता 18 में 3.365 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में से वादिया का 1.121 है0 प्रतिवादी संख्या 1 का 1.122 है0, प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का 1.122 है0 कमाण्ड खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है जमाबन्दी सलंग्न है। उक्त रकबा का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य कई वर्ष पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है मुताबिक घरू बंटवारा वादिया के पास प.न. 93/62 के किला न. 7 में 0.130 है0 , 8 में 0.253, 9 में 0.253, 10 में 0.042, [illegible] है0 भूमि कब्जा काश्त में है जिसमें वर्तमान में वादिया

के सदस्य है करवाते रहेगें। लेकिन आज से 5–7 रोज पूर्व वादिया ने प्रतिवादीगण को कि राजस्व शिविर चल रहें है अपने चलकर खाता विभाजन करवा लेते है तो दीगण खाता विभाजन करवाने से इन्कार हो गये बस यही वाद उत्पन्न होने का कारण ादिया घरू बंटवारा खाता विभाजन करने का हकदार है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन वाद पत्र डिक्री किया जाकर घरू बंटवारा के अनुसार बंटवारा किया जाकर वादिया एवं ादी संख्या 1 ता 6 का खाता विभाज़न किया जावे।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब ा गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से दिनांक 21.07.2016 को ालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया । पक्षकारान को राजीनामा पढकर ाया गया जिसको पक्षकारान ने सही होना स्वीकार किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या ता 6 की पहचान श्री श्रवण बिश्नोई वकील द्वारा की गई व राजीनाम तस्दीक किया गया। लिए वाद–वादीगण जरिये राजीनामा स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद–वादी जरिये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी ंख्या 1 ता 6 का खाता विभाजित किया जाता है व चक 2 केएनडी–ए का प.न. 93/62 के किला न. 7 में 0.130 है0 , 8 में 0.253, 9 में 0.253, 10 में 0.042, 12 में 0.190, 13 में 0.253 कुल 1.121 है0 भूमि का वादिया को व प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश को प.न. 93/62 मु.न. 78 किला न. 6 में .152, 7 में 0.110,14 में 0.253,15 में 0.253, 16 में 0.190, 17 में 0.126, 18 में 0.038 कुल 1.122 है0 भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 कलावती,बलवन्त,कमला, मुकेश, सोना का प.न. 93/62 मु.न. 78 के किला न. 1 में 0.177, 2 में 0.152, 3 में 0.126, 4में 0.139, 5 में 0.215,10 में 0.186, 11 में 0.127 कुल 1.122 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार राजस्व घड़साना को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का खाता विभाजित कर उनके हिस्से में आई भूमि का हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.16 को मजमेआम सुनाया गया।

(श्योराम वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना